U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh% Mk-jktsUnz 'kekZ] vkbZ-,-,l-

jktLo f}rh; vihy l[;k 394@2020 ¼2020@00215½

vihykUV	बनाम	**jLiksMUVl**
1. कमलाबेन पत्नी रमेश भाई 2. प्रकाश कुमार पुत्र खेताराम 3. रमीला पत्नी अशोक कुमार 4. हन्जादेवी पत्नी खेमाराम निवासीगण– मण्डवाडा, तहसील सिरोही।		1- बदाराम पुत्र चमनाजी 2- रतनलाल पुत्र बदाराम निवासी– मण्डवाडा हाल– महालक्ष्मी फ्रुट भंडार, जैन मन्दिर के पास गोपाल कृष्णा बिल्डिंग नेहरूनगर अम्बावाडी, अहमदाबाद। 3. हन्साराम पुत्र चमना जी निवासी–मण्डवाडा तहसील सिरोही। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

प्रथम राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2019 बदाराम वगैराह बनाम राज्य में दिनांक 3.9.2019 को पारित किये गये आदेश के विरूद्ध पेश हुई

mifLFkfr%&&

1. श्री श्रेयांश मरडिया, अधिवक्ता अपीलाटस की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री नवल सिंह दहिया, रेस्पो.सं. 4 की ओर से उपस्थित।

fu.kZ;

fnukad ekpZ]2021

1. अपीलान्टस के द्वारा यह प्रथम अपील प्रथम राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2019 बदाराम वगैराह बनाम राज्य में दिनांक 3.9.2019 को पारित किये गये आदेश के विरूद्ध दिनांक 13.08.2020 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या एक ता तीन ने सहायक कलेक्टर सिरोही के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम 128 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए ग्राम बलवन्तगढ, तहसील सिरोही के ख0सं0 278,279,280, 281,282, 283,284,285,287,288,289,295 कुल 6.5700 हैक्टर भूमि आई हुई है जो कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी तथा कब्जाकाश्त की चली आ रही है, उक्त खसरान के पडौसी खातेदारान के द्वारा गलत तरीके से मौके पर मौजूद सीमा को अपनी तरफ करते हुए अवैध रूप से कब्जा कर रहे है। उक्त आराजी भूमि के चारों और मौके पर सीमाचिन्ह मौजूद नहीं है। जिन्हें प्रार्थीगण की सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही कराने में विवाद पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। सहायक कलेक्टर, सिरोही ने रेस्पो0 संख्या 01 ता 3 के आवेदन में दर्शाये गये खसरान भूमि के अनुसार उक्त वर्णित भूमि की सीमाज्ञान किये जाने तत्पश्चात पत्थरगढी किये जाने के आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 03.03.2019 को तहसीलदार, सिरोही को आदेशित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण ने यह अपील निम्न वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

3. हमने पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।

4. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्टस की ग्राम बलवंतगढ में ख0सं0 303 रकबा 6.2800 हैक्टर भूमि आई हुई है जिसके लगते हुए रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 तथा अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई है। अपीलान्टस की उक्त भूमि का पूर्व में दिनांक 10.5.2016 को तहसीलदार सिरोही के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया था। परन्तु रेस्पो0 के द्वारा सीमाचिन्ह अंकित नहीं करने दिये। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 राजस्व नक्शे में त्रुटि होने से उक्त ख0सं0 303 की कुछ हिस्सा भूमि को अपना मानते थे। जिस कारण से उक्त सीमा विवाद को समाप्त करने हेतु अपीलार्थीगण के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष आवेदन किया जिस पर सहायक कलैक्टर सिरोही के आदेश 5.5.2018 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 की मौजूदगी में दिनांक 5.6.2018 को सीमाकंन करवाते हुए पत्थरगढी करवाई गई। तब भी अपीलान्टस की भूमि पर रेस्पो0

का कब्जा होना पाया गया था। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील आदिनांक तक नहीं की है। ऐसे में यह निर्णय अन्तिम हो चुका है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ता तीन ने उक्त तमाम को तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पो0 संख्या एक ता तीन ने बदनियतीपूर्वक पुनः ख0सं0 303 की भूमि के सीमाकंन व पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन पेश कर दिया जिसमें अपीलान्टस को पक्षकार भी नहीं बनाया, मात्र तहसीलदार सिरोही को पक्षकार संस्थित करवाते हुए मिलीभीगती से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जो एकपक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी उन्हें पडौसी खातेदारान होना मानकर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। रेस्पो0 संख्या 4 के द्वारा जो मौका फर्द बनाई गई उसमें अपीलार्थीगण को रेस्पो0 की भूमि पर काबिज होना दर्शाया था तथा अपीलार्थीगण की मौके पर बोई हुई फसल पर उसे नुकसान पहुंचाते हुए नपाई करवाई गई। इस कार्यवाही में राजस्व कर्मियों ने रेस्पो0 के साथ मिलीभगती करते हुए कार्यवाही की गई थी एवं दिनांक 29.6.2019 को राजस्व कर्मियों द्वारा मौका फर्द में उक्त सीमाकंन लटठा ट्रेस के आधार पर की गई थी न कि वर्तमान नक्शा शीट से। राजस्वकर्मियों ने आज्ञापक नियम के विरूद्ध सीमाकंन हेतु नपाई नहीं की एवं गलत सीमाकंन किया तथा उसी अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही की गई जो निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 3.9.2019 को तब हुई जब राजस्वकर्मियों व तहसीलदार के द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि पर सीमाकंन करने हेतु कार्यवाही आरम्भ की गई। तब उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है जो अन्दर म्याद मानी जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.9.2019 को निरस्त किया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट के द्वारा जो तथ्य/बाते अपनी अपील में उठाई गई है वह सत्यता

से परे है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 295 कुल रकबा 6.5700 भूमि तथा ख0सं0 303 के मध्य में माढ/लोर नहीं होने के कारण आये दिन सीमा विवाद होता रहता था जिस पर हम रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा सहायक कलेक्टर सिरोही के समक्ष धारा 128 राज0 भू राजस्व अधि0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर सहायक कलेक्टर सिरोही ने रेस्पो0 संख्या 4 यानि तहसीलदार सिरोही से जवाब प्राप्त किया जिसमें वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 29.6.2019 को जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, नक्शा मौका फर्द अनुसार मौके पर कराये जाने पर पडौस के ख0सं0 303 के खातेदार हन्जादेवी पत्नि खेताराम वगैराह यानि अपीलान्टस का आंशिक भू भाग पर कब्जा बताया गया जिसके आधार पर सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 3.9.2019 को वादग्रस्त खसरान भूमि की नपाई तथा सीमा पर सीमाचिन्ह/पत्थरगढी करवाने के आदेश दिये गये थे।

8. रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा यह भी कथन किया गया कि तहसीलदार सिरोही के आदेश दिनांक 29.6.2019 के अनुसार मौके पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग की गई थी तथा सभी पक्षकारान की उपस्थिती में सम्पादित की गई थी तथा राजस्व कार्मिकों यानि भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के द्वारा उक्त खसरान भूमि के राजस्व नक्शा लटठा ट्रेस को मौके पर रखते हुए दिनांक 29.6.2019 को मौका फर्द तैयार सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई जिसमें ख0सं0 303 के खातेदारान द्वारा ख0सं0 283 व 283 की आंशिक भूमि पर कब्जा किया हुआ पाया गया था परन्तु उक्त मौका फर्द पर ख0सं0 303 के खातेदारान द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। राजस्व नक्शा लटठा ट्रेस के अवलोकन से उक्त सभी खसरान भूमि की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हम सभी खातेदारान की उपस्थिति में तथा राजस्व कार्मिको की उपस्थिति में सम्पादित हुई है जो विधि अनुरूप की गई थी जिसके आधार पर ही सहायक कलेक्टर सिरोही के द्वारा हमारे खसरान भूमि तथा खसरा संख्या 303 की भूमि के मध्य पक्के सीमाचिन्ह/ पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये गये है जो पूर्णरूप से उचित होने से बहला रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

9- हमने उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पक्षकारान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत किये गये

दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अपने खसरा संख्या 302 रकबा 6.6400 हैक्टर भूमि जो कि 1/3 बटा के रूप में आई हुई व 303 की 6.2800 हैक्टर भूमि जो कि 1/4 बटा के रूप में आई हुई होने तथा अन्य पडौसी खातेदारान की भूमि के बीच सरहद पर माठ अथवा लोर नहीं होने के कारण विवाद रहने से उनके द्वारा तहसीलदार सिरोही से दिनांक 15.4.2013 एवं दिनांक 10.5.2016 से सीमाज्ञान करवाने हेतु आदेश करवाया गया तत्पश्चात पत्थरगढी हेतु सहायक कलेक्टर सिरोही न्यायालय में आवेदन संख्या 45/2018 प्रस्तुत कर दिनांक 5.5.2018 को आदेश करवाते हुए खसरा संख्या 303 तथा 302 तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ख0सं0 3775/277, 278,279, 280,281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 295 के मध्य में पत्थरगढी की कार्यवाही करवाई जाना रेकर्ड अनुसार प्रकट होता है।

10- इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा भी सहायक कलेक्टर सिरोही न्यायालय के प्रकरण संख्या 48/2019 प्रस्तुत करते हुए अपनी खातेदारी भूमि ख0सं0 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 295 कुल 6.5700 हैक्टर भूमि तथा पडौसी खातेदारान के खसरा संख्या 303 के मध्य सीमाचिन्ह नहीं होने से विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन करने पर सहायक कलेक्टर सिरोही ने उक्त खसरान भूमि व पडौसी खातदोरान की खसरान भूमि के मध्य सीमाज्ञान करवाने तथा पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु दिनांक 3.9.2019 को आदेश दिया जाना भी प्रकट होता है।

11- अपीलान्टस के अधिवक्ता का मुख्य तथ्य यह है कि उनके द्वारा सहायक कलेक्टर सिरोही के आदेश दिनांक 5.5.2018 के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि के मध्य सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही करवा ली गई। तत्पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा पुनः उन्हीं खसरान भूमि के मध्य सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही करवाने हेतु सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 3.9.3019 को जो दोबारा आदेश दिया गया था वो निरस्त/खारिज किया जावें।

12- उपरोक्त सभी तथ्यों के विश्लेषण उपरान्त हम इस निश्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्य I 1 ता 3 के मध्य उपरोक्त समस्त वादग्रस्त खसरान भूमि का राजस्व नक्शा लटठा ट्रेस एवं मौके की भौतिक स्थिति अनुसार

प्रभावित पक्षकारान (अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन तथा राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में प्रस्तुत विवरण/दस्तावेजों का परीक्षण करवाये जाने हेतु सहायक कलेक्टर सिरोही को निर्देशित किया जाना उचित होगा।

13- अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देशित किया जाता है कि अपील प्रकरण में अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि बाबत उनकी ओर से प्रस्तुत विवरण/दस्तावेजों अनुसार उनका परीक्षण करवाया जावें, यदि अपीलाधीन आदेश में संशोधन/निरस्ती की आवश्यकता लगे तो पुनः सीमाकंन/पत्थरगढी कार्यवाही करवाने का यथोचित निर्णय लेवें। निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼MkW- jkts’k 'kekZ½
fMohtuy dfe’uj]
tks/kiqj